

**विज्ञप्ति/स्थानान्तरण**

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ग) (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है।

**स0अ0एल0टी0-महिला शाखा**

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	कमला टम्टा स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 बेरीनाग पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती इन्द्रा बेलाल स0अ0एल0टी0	गृहविज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 देवलथल पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	सीमा ममगई स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 दोफाड़ बागेश्वर	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
4.	नीमा बनकोटी स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 बनकोट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 कालाढूंगी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
5.	श्रीमती जमुना मेहता स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 डीडिहाट, पिथौरागढ़	रा0क0उ0मा0वि0 कासमपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
6.	श्रीमती तारा आर्या स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 भटेलिया नैनीताल	रा0क0इ0का0 भवाली नैनीताल-सुगम	रिक्त पद के प्रति
7.	श्रीमती विद्योत्तमा टम्टा स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 रानीखेत, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 दौलिया नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8.	श्रीमती राजेश सक्सेना स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 कनकपुर, कोटाबाग नैनीताल	रा0क0इ0का0 बाजपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
9.	श्रीमती बीना आर्या स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 भटेलिया नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 हिम्मतपुरचौम्वाल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10.	विनीता स0अ0एल0टी0	कला	रा.बा.इ.का. सारकोट, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 पंतनगर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
11.	नीता सिराड़ी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 सोमेश्वर, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
12.	कबीरा गर्ब्याल स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 थल, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 काशीपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति



13.	शशिबाला स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 तल्ला रामगढ़, नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 शांतिपुरी रुद्रपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
14.	गंगा रावत स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 काण्डा बागेश्वर	रा0इ0का0 लालकुँआ (महिला) नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- III- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- IV- उक्त स्थानान्तरण ऐजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड किये गये विवरण के अनुसार तैयार की गयी वरिष्ठता सूची के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष का होगा।
- V- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)  
मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 3376-87 /2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।  
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।  
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।  
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।  
05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।  
06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।  
07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।  
08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।  
09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।  
11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।  
12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक  
(माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल